

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 405]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 सितम्बर 2016—आश्विन 6, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्र. एफ-ए-3-46-2016-1-पांच (41).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52, सन् 1976) (जो इसमें इसके पश्चात् प्रवेश कर अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है), की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए अधिसूचित करती है:—

- (1) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या उसमें विक्रय के लिए ऑनलाईन शॉपिंग या ई-कामर्स द्वारा क्रय किए गए माल को लाने वाला या बुलवाने वाला व्यक्ति.
- (2) प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची-दो में अधिसूचित मोटरयान से भिन्न माल, जिस पर प्रवेश कर की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्रवेश कर उद्ग्रहीत नहीं है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर 2016 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्र. एफ-ए-3-46-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-46-2016-1-पांच (41), दिनांक 28 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 28th September 2016

No. F-A-3-46-2016-1-V(41).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976) (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government, hereby, notifies for the purpose of the said sub-section:—

- (1) Persons bringing or causing to be brought into any local area within the State of Madhya Pradesh, the goods purchased through on line shopping or e-commerce, for consumption, use or sale therein.
- (2) The goods specified in Schedule-II of the Entry Tax Act, other than motor vehicles, on which entry tax is not leviable under sub-section (1) of Section 3 of the said Act.

2. This notification shall come into force from 1st October 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्र. एफ-ए-3-46-2016-1-पांच (42).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52, सन् 1976) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निदेश देती है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन, प्रवेश कर, व्यक्तियों द्वारा और इस विभाग की अधिसूचना एफ-ए 3-46-2016-1-पांच-(41), दिनांक 28 सितम्बर 2016 द्वारा धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित माल के संबंध में 6 प्रतिशत की दर से देय होगा.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर 2016 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्र. एफ-ए-3-46-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-46-2016-1-पांच (42), दिनांक 28 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 28th September 2016

No. F-A-3-46-2016-1-V(42).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, directs that entry tax under sub-section (2) of Section 3, shall be payable at the rate of 6 percent by the persons and in respect of the goods notified under sub-section (2) of Section 3 by this department's notification No. F-A-3-46-2016-1-V(41), dated 28th September 2016.

2. This notification shall come into force from 1st October 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्र. एफ-ए-3-46-2016-1-पांच (43).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52, सन् 1976) की धारा 3-ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-46-2016-1-पांच (41) दिनांक 28 सितम्बर 2016 द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों की ओर से मध्यप्रदेश राज्य के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र में माल लाने के लिए परिवाहक, कूरियर, अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को "माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति" के रूप में ऐसे अधिसूचित व्यक्तियों से प्रवेश कर संग्रहित करने के लिए और उसी अधिसूचना द्वारा धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित माल के संबंध में राज्य सरकार को संग्रहित किए गए प्रवेश कर के भुगतान/संदाय के लिए नीचे विनिर्दिष्ट रीति में और शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन नियुक्त करती है, अर्थात्:—

- (1) (क) माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति विभागीय वेब पोर्टल के माध्यम से, वेब पोर्टल पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्ररूप-सोलह में ऑनलाईन आवेदन करेगा;
 - (ख) समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी (जो इसमें इसके पश्चात् समुचित प्राधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है), आवेदन में दी गई विशिष्टियों से संतुष्ट होने के पश्चात्, आवेदक का नामांकन करेगा और विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्ररूप-सोलह में नामांकन प्रमाण-पत्र जारी करेगा;
 - (ग) यदि माल का परिवहन करने वाला नामांकित व्यक्ति इस अधिसूचना के किन्हीं निबन्धनों शर्तों का उल्लंघन करता है तो समुचित प्राधिकारी, उसे सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसका नामांकन प्रमाण-पत्र रद्द कर सकेगा.
- (2) (क) समुचित प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, उसे सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात्, समुचित धनराशि की कोई प्रतिभूति सुरक्षा या अतिरिक्त प्रतिभूति सुरक्षा प्रदान करने का कोई आदेश पारित करेगा. प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति नकद अथवा किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा (फिक्सड डिपोजिट) के रूप में प्रदान की जाएगी.
 - (ख) समुचित प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर, निर्धारित प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि को कम कर सकेगा या बढ़ा सकेगा.
 - (ग) प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि सामान्यतया एक मास की कालावधि में माल का परिवहन कर रहे व्यक्ति द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर स्थानीय क्षेत्रों में लाए गए माल पर देय प्रवेश कर को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी.
 - (घ) यदि माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति द्वारा देय प्रवेश कर, ब्याज अथवा शास्ति की कोई राशि, विनिर्दिष्ट समय-सीमा के पश्चात् अदत्त रहती है तो प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति अदत्त राशि की वसूली के लिए समपहत्त किए जाने की दायी होगी.
- (3) माल का परिवहन करने वाला नामांकित व्यक्ति उस सीमा तक, कि लाए जा रहे माल पर देय प्रवेश कर तथा पूर्व में लाए गए माल पर देय परंतु संदत्त नहीं किए गए प्रवेश कर की राशि, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूति या अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि से अधिक नहीं हो, मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र में माल लाने का पात्र होगा.

- (4) माल का परिवहन करने वाला प्रत्येक नामांकित व्यक्ति मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र में लाए जा रहे माल के लिए विभाग के अधिकारिक वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्ररूप-अठारह में एक विवरणी डाउनलोड करेगा. माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति अपने साथ ऐसी विवरणी रखेगा.
- (5) माल का परिवहन करने वाला प्रत्येक नामांकित व्यक्ति ऑनलाईन शापिंग अथवा ई-कामर्स के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश कराने के पूर्व ऐसे माल का क्रय करने वाले और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से, उक्त अधिसूचना के अधीन उस व्यक्ति से, उसको ऐसे माल की सुपूर्दगी के समय या उसके पूर्व किसी भी समय, माल पर देय कर का उससे संग्रहण करने और उसकी ओर से शासकीय कोषालय में उसका भुगतान करने का प्राधिकार प्राप्त करेगा. मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र में माल का परिवहन करने वाले नामांकित व्यक्ति द्वारा प्रवेश कराए गए प्रत्येक प्रेषित माल के लिए यह समझा जाएगा कि इस उपबंध के अधीन ऐसा प्राधिकार प्राप्त किया गया है.
- (6) (क) माल का परिवहन करने वाला प्रत्येक नामांकित व्यक्ति, सोमवार से शुरू होने वाले किसी सप्ताह में, सप्ताह की समाप्ति के 3 दिवस के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र में लाए गए माल पर देय प्रवेश कर, शासकीय कोषालय में जमा करेगा.
- (ख) माल का परिवहन करने वाला प्रत्येक नामांकित व्यक्ति, अधिसूचित व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए माल की वापसी के कारण मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र से बाहर भेजे जाने वाले माल के लिए विभाग के अधिकारिक वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्ररूप-उन्नीस में एक विवरणी डाउनलोड करेगा. ऐसे माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति अपने साथ ऐसी विवरणी रखेगा.
- (ग) माल का परिवहन करने वाला प्रत्येक नामांकित व्यक्ति, किसी कलेंडर मास के दौरान मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी स्थानीय क्षेत्र में लाए गए तथा मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र से बाहर भेजे गए माल के ब्यौरे, उस मास के लिए प्रवेश कर के भुगतान के सबूत के साथ, मास की समाप्ति के 7 दिवस के भीतर, विभाग के अधिकारिक वेब पोर्टल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, प्ररूप-बीस में प्रस्तुत करेगा. जहां कि कोई सप्ताह दो कलेंडर मास तक फैला हुआ है तो ऐसे सप्ताह के ब्यौरे उस कलेंडर मास में सम्मिलित किए जाएंगे जिसमें कि प्रवेश कर का भुगतान किया गया है.
- (घ) यदि माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रवेश कर की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो विलंबित कालावधि के लिए प्रथम तीन मास के लिए 1.5 प्रतिशत प्रतिमास की दर से तथा तत्पश्चात् 2 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा.
- (7) मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी स्थानीय क्षेत्र में लाए गए ऐसे माल पर कोई प्रवेश कर देय नहीं होगा, यदि माल, ऐसे माल के प्रवेश के 30 दिवस के भीतर खरीद वापसी के कारण मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र से बाहर भेजा गया है. ऐसे माल पर पहले से ही भुगतान कर दिया गया प्रवेश कर, माल का परिवहन करने वाले नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर 2016 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

प्ररूप क्रमांक सोलह

[धारा 3-ख तथा अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-46-2016-1-पांच (43), दिनांक 28 सितम्बर 2016 देखिए]

नामांकन के लिए आवेदन-पत्र

प्रति,

श्रीमान (पदनाम)

..... (सर्कल)

मैं/हम जो कि के नाम से ज्ञान व्यवसाय के प्रोपाइटर/भागीदार/प्रबंधक/निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है; इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-46-2016-1-पांच(41), दिनांक 28 सितम्बर 2016 के द्वारा धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित माल एवं व्यक्ति की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के संबंध में प्रवेश कर संग्रहीत करने और उसे राज्य सरकार को भुगतान करने के लिए "माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति" के रूप में प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने के लिए एतद्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं।

2. (क) मध्यप्रदेश राज्य में व्यवसाय का स्थान (यदि कोई हो)

(ख) पंजीकृत कार्यालय का पता

3. (क) सेवा कर पंजीयन क्रमांक, यदि कोई हो

(ख) आयकर पेन (PAN)

4. बैंक खाते के ब्यौरे

मैं/हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त कथन मेरी/हमारी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

स्थान (हस्ताक्षर)

प्ररूप क्रमांक सत्रह

[धारा 3-ख तथा अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-46-2016-1-पांच (43), दिनांक 28 सितम्बर 2016 देखिए]

नामांकन प्रमाण-पत्र

नामांकन क्रमांक

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स जिनके व्यवसाय का मुख्य स्थान (पता) में स्थित है, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 की धारा 3-ख के अधीन दिनांक से माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति के रूप में नामांकित किए जाते हैं।

मुद्रा

तारीख (हस्ताक्षर)

पदनाम

प्ररूप क्रमांक अठारह
[धारा 3-ख तथा अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-46-2016-1-पांच (43), दिनांक 28 सितम्बर 2016 देखिए]

घोषणा क्रमांक
ई-कामर्स अथवा ऑनलाईन शॉपिंग के अनुसरण में राज्य के बाहर से मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराए जाने वाले माल के ब्यौरे
माल का प्रवेश करने वाले व्यक्ति का नाम
नामांकन क्रमांक

राज्य के बाहर से मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराए जाने वाले माल के ब्यौरे

अनु. क्रमांक	भेजने वाले/ विक्रेता का नाम	भेजने वाले/ विक्रेता का पता	इनवाइस क्रमांक	इनवाइस की तारीख	इनवाइस का मूल्य	माल पर देय प्रवेश कर	माल के ब्यौरे	माल की मात्रा	पैकेट की संख्या	ग्राहक का नाम	ग्राहक का पता

इस घोषणा प्ररूप में सम्मिलित इनवाइसों की कुल संख्या

इस घोषणा प्ररूप में सम्मिलित इनवाइसों का कुल मूल्य

इस घोषणा प्ररूप में सम्मिलित इनवाइसों पर देय कुल प्रवेश कर

पूर्व के अवसरों पर मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र में प्रविष्ट माल पर अब तक भुगतान न किए गए प्रवेश कर की राशि नामांकित व्यक्ति द्वारा विभाग को प्रदान की गई सुरक्षा तथा अतिरिक्त सुरक्षा की राशि.

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

हस्ताक्षरकर्ता का नाम/पदनाम

प्ररूप क्रमांक उन्नीस
[धारा 3-ख तथा अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-46-2016-1-पांच (43), दिनांक 28 सितम्बर 2016 देखिए]

घोषणा क्रमांक:—
ई-कामर्स अथवा ऑनलाईन शॉपिंग के अनुसरण में अधिसूचित व्यक्ति द्वारा वापस किए गए, मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र से बाहर भेजे जाने वाले माल के ब्यौरे माल वहन करने वाले व्यक्ति का नाम
नामांकन क्रमांक

वापस किए गए माल के ब्यौरे

अनु. क्रमांक	भेजने वाले/ विक्रेता का नाम जिससे माल खरीदा गया था	भेजने वाले/ विक्रेता का पता	इनवाइस क्रमांक	इनवाइस की तारीख	इनवाइस का मूल्य	माल पर देय प्रवेश कर	माल के ब्यौरे	माल की मात्रा	पैकेट की संख्या	ग्राहक का नाम	ग्राहक का पता	मध्यप्रदेश राज्य में ऐसे माल को लाने के लिए डाऊनलोड किया गया घोषणा-पत्र क्रमांक	माल को वापस किए जाने की तारीख

इस घोषणा प्ररूप में सम्मिलित इनवाइसों की कुल संख्या

इस घोषणा प्ररूप में सम्मिलित इनवाइसों का कुल मूल्य

इस घोषणा प्ररूप में सम्मिलित इनवाइसों पर देय कुल प्रवेश कर

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

हस्ताक्षरकर्ता का नाम/पदनाम

प्ररूप क्रमांक बीस

[धारा 3-ख तथा अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-46-2016-1-पांच (43), दिनांक 28 सितम्बर 2016 देखिए]

मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराए गए तथा ऑनलाईन शापिंग अथवा ई-कामर्स के अनुसरण में राज्य के स्थानीय क्षेत्र से बाहर वापस भेजे गए माल की मासिक विवरणी

माल वहन करने वाले व्यक्ति का नाम

नामांकन क्रमांक

माह

वर्ष

माह के दौरान मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराए जाने वाले माल के ब्यौरे

अनुक्रमांक	राज्य के स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश कराने के लिए डाउनलोड किया गया घोषणा-पत्र क्रमांक	घोषणा में सम्मिलित इनवाइसों की कुल राशि	घोषणा के कुल मूल्य पर देय प्रवेश कर की कुल राशि	मास के लिए प्रवेश कर भुगतान के ब्यौरे		
				चालान क्रमांक	तारीख	राशि
योग						

ग्राहकों द्वारा खरीद वापसी के कारण मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय क्षेत्र से बाहर भेजे गए माल के ब्यौरे

अनुक्रमांक	राज्य के स्थानीय क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए डाउनलोड किया गया घोषणा पत्र क्रमांक	घोषणा में सम्मिलित इनवाइसों की कुल राशि	घोषणा के कुल मूल्य पर देय प्रवेश कर की कुल राशि	राज्य में माल का प्रवेश कराने के लिए डाउनलोड किया गया घोषणा-पत्र क्रमांक
योग				

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

हस्ताक्षरकर्ता का नाम/पदनाम

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2016

क्र. एफ-ए-3-46-2016-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-46-2016-1-पांच (43), दिनांक 28 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 28th September 2016

No. F-A-3-46-2016-1-V-(43).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3-B of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, appoints transporter, courier, agent or any other person bringing goods into any local area within the State of Madhya Pradesh on behalf of the persons notified by this department's notification No. FA 3-46-2016-1-V (41) dated 28-09-2016, as the " person transporting goods" to collect entry tax from such notified persons and to pay the collected entry tax to the State Government, in respect of the goods notified under sub-section (2) of Section 3 by the same notification, in the manner and subject to the terms and conditions specified below, namely:—

- (1) (a) The person transporting goods shall apply for enrolment in Form-XVI, online through official web portal of the department in accordance with the instructions given in the web portal;
- (b) The appropriate Commercial Tax Officer or any other officers authorized by the Commissioner (herein after referred as appropriate authority) shall, after being satisfied of the particulars given in the application, enrol the applicant and issue a certificate of enrolment in Form-XVII in accordance with the instructions given in the official web portal of the department;
- (c) If the enrolled person transporting goods violates any of the terms and conditions of this notification, the appropriate authority may, after giving him an opportunity of being heard, cancel his certificate of enrolment.
- (2) (a) The appropriate authority shall, on his own motion or on an application by the person transporting goods, after giving a proper opportunity of being heard, pass an order to fix a security or additional security of the appropriate amount. The security or additional security shall be furnished in the form of cash deposit or Fixed Deposit of a scheduled bank.
- (b) The appropriate authority may, on his own motion or on an application by the person transporting goods, reduce or enhance security of additional security determined.
- (c) The amount of security or additional security shall ordinarily be determined taking into account the entry tax payable on the goods to be brought in to local areas within the State of Madhya Pradesh in a period of one month by the person transporting goods.
- (d) If any amount of entry tax, interest or penalty payable by the person transporting goods remains unpaid after specified time limit, the security or additional security shall be liable to be forfeited for realization of the unpaid amount.
- (3) The enrolled person transporting goods shall be eligible to bring goods into any local area within the State of Madhya Pradesh, to the extent, where the amount of entry tax payable on the goods being brought and the entry tax payable but not paid on the goods brought earlier, does not exceed the amount of security or additional security furnished.
- (4) Every enrolled person transporting goods shall download a statement in Form XVIII in accordance with the instructions given in the official web portal of the department for the goods to be brought in to any local area within the State of Madhya Pradesh. The person transporting goods shall carry with him the statement.
- (5) Every enrolled person transporting goods, before making entry of the goods into any local area within the State of Madhya Pradesh pursuant to online shopping or e-commerce, shall obtain the authorization from the person purchasing such goods and notified under section 3(2) of the Act, to collect the tax payable on such goods under the said notification by such person, from him at the time of delivery of such goods to him or any time before it, and to pay it in to Government treasury on his behalf. For every consignment entered by the enrolled person transporting goods into any local area within the State of Madhya Pradesh, it shall be presumed that such authorization has been obtained as per this provision.

- (6) (a) Every enrolled person transporting goods shall deposit in to Government treasury entry tax payable on the goods brought by such enrolled person in a week beginning from Monday, within 3 days of the end of the week.
- (b) Every enrolled person transporting goods shall download a statement in Form-XIX in accordance with the instructions given in the official web portal of the department for the goods to be sent out of the local area of the State of Madhya Pradesh due to return of purchased goods by the notified persons. The person transporting goods shall carry with him the statement.
- (c) Every enrolled person transporting goods shall furnish details of goods brought into any local area within the State of Madhya Pradesh and sent outside the local area of the State of Madhya Pradesh due to purchase return during a calendar month in Form XX, in accordance with the instructions given in the official web portal of the department, within 7 days of the end of the month along with the proof of payment of entry tax. Where period of a week is spread over two calendar months, details shall be included in the calendar month in which payment of entry tax is made.
- (d) If the amount of entry tax is not paid in the specified time limit, interest at the rate of 1.5 percent per month for the first three month and thereafter at the rate of 2 percent per month shall be payable by the person transporting goods for the period of delayed payment.
- (7) No entry tax shall be payable on the goods brought into any local area withing the State of Madhya Pradesh, if due to purchase return within 30 days of entry of such goods, the goods are sent out of the local area of the State of Madhya Pradesh. Tax already paid shall be refunded to the enrolled person transporting goods.
2. This notification shall come into force from 01-10-2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

Form No. XVI

Application for enrolment

(See Section 3-B and Notification No. FA-3-46-2016-1-V(43), dated 28-9-2016)

To
The(Designation),
..... Circle:

1. I/We Proprietor/Partner/Manager/Director/Authorized signatory of the bussiness known as..... do hereby apply for grant of a certificate of enrollment as the "person transporting goods" to collect and pay entry tax to the State Government, in respect of the goods and on behalf of the persons notified under sub-section (2) of Section 3 by this department's notification No. FA-3-46-2016-1-V(41), dated 28-9-2016.

2. (a) Place of business in State of Madhya Pradesh (if any)
- (b) Address of the registered office
3. (a) Service Tax Registration No., if any
- (b) Income Tax PAN
4. Bank A/c details

I solemnly declare that the above statements are true to the best of may knowledge and belief.

Palce

(Signature)

Form No. XVII

(See section 3-B and Notification No. FA-3-46-2016-1-V(43), dated 28-9-2016)

CERTIFICATE OF ENROLMENT

Enrolment No.

1. This is to Certify that M/s Whose Principal place of business is situated at (Address), is enrolled as person transporting goods under section 3-B of The Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 with effect from (Date).

Seal Signature

Date Designation

Form No. XVIII

(See section 3-B and Notification No. FA-3-46-2016-1-V(43), dated 28-9-2016)

Declaration No.

Details of goods to be entered into local areas of the State of Madhya Pradesh pursuant to e-commerce or online shopping

Name of the person entering goods

Enrollment No.

Details of goods to be entered into local areas of the State of Madhya Pradesh

S. No.	Name of Consigner/ Seller	Address of Consigner/ Seller	invoice No.	invoice date	invoice value	Entry tax payable on goods	Goods details	Quantity of goods	No. of packages	Name of consumer	Address of consumer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Total No. of invoices covered in this declaration form

Total value of invoices covered in this declaration form

Total Entry Tax payable on the goods covered in this declaration form

Amount of Entry Tax not paid so far on goods entered in to local areas of the State of Madhya Pradesh on previous occasions.

Amount of security and additional security furnished by the person to the Department.

Place Signature

Date Name/Designation of signatory

Form No. XIX

(See section 3-B and Notification No. FA-3-46-2016-1-V(43), dated 28-9-2016)

Declaration No.

Details of goods returned by the notified persons, to be sent outside the local areas of the State of Madhya Pradesh pursuant to e-commerce or online shopping

Name of the person transporting goods

Enrollment No.

Details of the goods returned

S. No.	Name of Consigner/ Seller, from whom goods were purchased	Address of invoice Consigner/ Seller	invoice No.	invoice date	invoice value	Entry tax payable on goods	Goods details	Quantity of goods	No. of packages	Name of consumer	Address of consumer	Declaration No. down loaded for purchase of these goods	Date of return of the goods
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Total No. of invoices covered in this declaration form

Total value of invoices covered in this declaration form

Total Entry Tax payable on the goods covered in this declaration form

Place

Signature

Date

Name/Designation of signatory

Form No. XX

(See section 3-B and Notification No. FA-3-46-2016-1-V(43), dated 28-9-2016)

Monthly statement of goods entered into any local area of the State of Madhya Pradesh and returned goods sent out side the local area of the State pursuant to online shopping or e-commerce.

Name of the person transporting goods

Enrolment No.

Month—

Year—

Details of goods entered into the local areas of the State during the month

S. No.	Declaration No. downloaded for entering goods in to local areas of the State	Total amount of Invoices covered in the declaration	Total amount of Enrty Tax payable on the total value of declaration	Details of Entry Tax Payment for the month		
				Challan No.	Date	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

TOTAL . .

Details of goods sent out side the local areas of the State due to purchase return by consumers

S. No.	Declaration No. downloaded for sending goods outside the local areas of the State	Total amount of Invoices covered in the declaration	Total amount of Enrty Tax payable on the total value of declaration	Declaration No. downloaded for entering goods into the State
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

TOTAL . .

Place:

Signature,

Date:

Name/Designation of signatory.